MB-7

निरीक्षण प्रतिवेदन

सत्यमेव जयते

प्रखंड कार्यालय : : विस्फी

निरीक्षण की तिथि : : 14–12–2002

निरीक्षी पदा0 का नाम : डा0 बी0 राजेन्दर

भा0 प्र0 से0

जिला पदाधिकारी,

मधुबनी

डा० बी० राजेन्दर, भा०प्र०से०, जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा दिनांक 14-12-2002 को प्रखंड कार्यालय, बिस्फी का किये गये निरीक्षण से संबंधित अभिलिखित निरीक्षण टिप्पणी ।

1- परिचय :-

बिस्फी प्रखंड कार्यालय की स्थापना रहिका प्रखंड से विभक्त होकर दिनांक 15-11-1971 को स्वतंत्र रूप से हुई है । जिला मुख्यालय से इस प्रखंड की दूरी लगभग 30 कि० मी० है तथा दरभंगा-जयनगर के राष्ट्रीय उच्च पथ-57 से (0 माईल औंसी से पश्चिम) 10 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित है । प्रखंड एवं अंचल कार्यालय एक ही भवन में अवस्थित है, जिसमें पश्चिम से अंचल कार्यालय एवं पूरब से प्रखंड कार्यालय कार्यरत है । प्रखंड एवं अंचल कार्यालय मिलाकर कुल कमरों की संख्या 13 है ।

बिस्फी प्रखंड से संबंधित अन्य सूचनाएँ निम्नलिखित हैं :-

(क) कुल जनसंख्या (2001 की जनगणना के अनुसार)	:	2, 66, 118
(ख) कुल पुरूष की संख्या	:	1, 34, 435
(ग) कुल स्त्री की संख्या	:	1, 26, 683
(घ) कुल साक्षर पुरूष की संख्या	:	55, 898
(ङ) कुल साक्षर महिला की संख्या	:	29, 176
(च) भौगोलिक क्षेत्रफल	:	70 वर्गमील
(छ) कुल पंचायतों की संख्या	:	28
(ज) कुल पंचायत समितियों की संख्या	:	38
(झ) कुल जिला परिषद सदस्यों की संख्या	:	04
(ट) कुल वार्डों की संख्या	:	382
(ठ) कुल राजस्व गाँवों की संख्या	:	57
(ड) कुल हल्का की संख्या	:	09
(ढ) कुल बेचिरागी ग्रामों की संख्या	:	04
(त) कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	:	124
(थ) कुल मध्य विद्यालयों की संख्या	:	22
(द) कुल बुनियादी विद्यालयों की संख्या	:	01

80/

लगातार...2/-

{ध} कुल उच्च विद्यालयों की संख्या	:	05
{न} कुल चरवाहा विद्यालयों की संख्या	:	01
{प} कुल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	:	01
{फ} कुल उप स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या	:	32
{ब} कुल अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्रोंकी संख्या	:	03
{भ} कुल बैंकों की संख्या	:	10
{म} कुल पशु चिकित्सा उप केन्द्रों की संख्या	:	04
{य} कुल सामान्य परिवारों की संख्या	:	33,889
{र} कुल गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या	:	29,430
{ल} अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या	:	2,943
{व} विकलांग परिवारों की संख्या	:	305
{स} अन्य परिवारों की संख्या	:	11,967
{थ} अल्पसंख्यक परिवारों की संख्या	:	1,445

2] भवन :-

प्रखंड कार्यालय अपने निजी भवन में अवस्थित है । निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कार्यालय भवन की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है । ...सी भी समय भयंकर दुर्घटना होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस प्रखंड का दिनांक 20-6-2001 को भी ...रीक्षण के क्रम में कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को आदेश दिया गया था कि इसकी मरम्मति एवं रंगाई-पोताई शीघ्र कराया ...य, परन्तु अभी तक भवन निर्माण विभाग द्वारा न तो इसकी मरम्मति ही कराई गयी और न ही रंगाई-पोताई ही कराया गया है, जो बहुत ही खेद ...ं चिन्ता का विषय है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि भवन की मरम्मति एवं रंगाई -पोताई हेतु उनके एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी ...रा कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी से पत्राचार भी किया गया है, परन्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ...ं निदेश दिया जाता है कि पुनः कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, मधुबनी से पत्राचार करें एवं पत्र की प्रतिलिपि अधोहस्ताक्षरी कोभी दिया जाय । ...ारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण प्रमण्डल, मधुबनी को पूर्व प्रेषित पत्र के ...लोक में जिसकी प्रखंड कार्यालय की मरम्मति/रंगाई-पोताई हेतु अधोहस्ताक्षरी की ओर से भी पत्राचार किया जाय ।

लगातार..... 3/-

प्रभार :-

श्री किशोर कुमार प्रसाद, बि0प्र0से0, प्रखंड विकास पदाधिकारी, विस्फी दिनांक 3-8-2001 से कार्यरत हैं । इनके पूर्व मो0 मुस्ताक, बि0प्र0से0, प्रखंड ास पदाधिकारी, विस्फी के रूप में कार्यरत थे ।

श्री जीवछ मोची, प्रधान सहायक के रूप में दिनांक 7-7-2001 से कार्यरत हैं तथा श्री उदय नारायण लाल, प्रखंड नाजीर अगस्त, 2001 से पदस्थापित हैं । पूर्व श्री भोगेन्द्र राम, प्रधान सहायक के पद पर एवं श्री उमेश चन्द्र झा, प्रखंड नाजीर के रूप में इस प्रखंड में पदस्थापित थे ।

स्थापना :-

इस प्रखंड में पदाधिकारी/कर्मचारी/अन्य स्थापना से संबंधित स्वीकृत बल की स्थिति निम्नप्रकार से है :-

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	अतिरिक्त	अभ्युक्ति
1-	प्रखंड विकास पदाधिकारी	1	1	-	-	
2-	प्रखंड कृषि पदाधिकारी	1	1	-	-	
3-	प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी	1	1	-	-	
4-	प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	1		1	-	
5-	प्रखंड कल्याण पदाधिकारी	1	-	1	-	पण्डौल प्रखंड से प्रतिनियुक्त ।
6-	प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	1	1	-	-	
7-	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	1	-	1	-	
8-	कनीय अभियंता	2	2	-	-	
9-	प्रधान सहायक	1	1	-	-	
10-	सहायक	5	3	2	-	
11-	सहायक{अनियोजन सांकेतिक भत्ता}	1	1	-	-	
12-	लेखा लिपिक	3	2	1	-	
13-	कनीय लेखा लिपिक	1	1	-	-	
14-	राजभाषा {उर्दू अनुवादक}	3	2	1	-	

लगातार...4/-

15-	अनुसेवक	5	4	1	–
16-	जीपचालक	1	–	1	–
17-	जनसेवक	9	3	6	–
18-	पंचायत सेवक	28	17	11	–
19-	महिला प्रसार पदाधिकारी	1	1	–	–
20-	ग्राम सेविका	1	1	–	–
21-	झाड़ूकश	1	1	–	–

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी का एक पद, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी का एक पद, ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक का एक पद, सहायक का दो पद, लेखालिपिक का एक पद, उर्दू अनुवादक का एक पद, अनुसेवक का एक पद, जीपचालक का एक पद, जनसेवक का 6 पद एवं पंचायत सेवक का ग्यारह पद रिक्त हैं। स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन हेतु सभी संबंधित पदाधिकारियों को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप अधोहस्ताक्षरी के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर प्रस्तुत करेंगे।

(5) स्टाफ पंजी :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण के आलोक में इस प्रखंड में पदस्थापित सभी सम्वर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम/पदनाम/स्थायी पता एवं योगदान की तिथि से संबंधित पूर्ण ब्यौरा अलग से संधारित है। प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का नाम पंजी में दर्ज नहीं है, उसे नये सिरे से भरकर अनुपालन सुनिश्चित करें।

(6) पूर्व निरीक्षण :-

इस प्रखंड का पूर्व निरीक्षण निम्नांकित निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :-

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1-	समाहर्त्ता, मधुबनी	01-09-79	12-09-79	19-09-79
2-	समाहर्त्ता, मधुबनी	01-01-81	19-01-81	19-02-81
3-	समाहर्त्ता, मधुबनी	24-09-83	06-10-83	27-02-84
4-	समाहर्त्ता, मधुबनी	21-03-86	10-04-86	10-05-86

लगातार.....5/-

5-	समाहर्त्ता, मधुबनी	26-09-96	05-12-96	04-01-97
6-	समाहर्त्ता, मधुबनी	20-06-01	01-08-01	18-09-01
7-	जिला लेखा पदाधिकारी, दरभंगा	27-07-79	-	-
8-	क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, दरभंगा	16-06-84	05-08-84	17-08-84
9-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	10-11-81	08-01-82	18-02-82
10-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	04-04-87	14-04-87	26-05-87
11-	उप विकास आयुक्त, मधुबनी	27-11-00	01-01-01	05-04-01
12-	जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी	03-03-81	05-05-81	01-06-81
13-	जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी	21-11-95	08-12-95	05-06-96
14-	जिला विकास पदाधिकारी, मधुबनी	17-08-94	11-03-94	08-11-95
15-	अपर समाहर्त्ता, मधुबनी	09-02-80	27-03-80	01-06-81
16-	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी	20-06-79	30-07-79	23-08-79
17-	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर मधुबनी	12-03-81	02-08-81	01-09-81
18-	अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी	16-03-92	04-04-92	29-04-92
19-	अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी	22-02-94	29-05-94	13-12-94
20-	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी	18-12-80	19-12-80	-
21-	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी	24-02-84	05-03-84	05-04-84
22-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	05-08-78	25-08-78	23-08-79
23-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	20-02-83	23-02-83	18-03-83
24-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	13-02-85	11-12-85	25-01-86
25-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	28-12-92	25-02-93	27-03-93
26-	कार्यालय अधीक्षक, मधुबनी	06-09-99	23-09-99	-
27-	अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी	17-10-02	12-11-02	-

सभी निरीक्षी पदाधिकारियों द्वारा इस प्रखंड का किये गये निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी केलिए अलग-अलग रक्षी संचिका संधारित ं अनुपालन प्रतिवेदन भी उसी में सटा गया है । उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी एवं अनुमण्डल धिकारी, बेनीपट्टी द्वारा क्रमशः इस प्रखंड का दिनांक 18-12-80 एवं 17-10-02 को किये गये निरीक्षण का अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक नहीं भेजा गया

लगातार....6/-

है, जो बहुत ही गम्भीर एवं खेद का विषय है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 20-06-2001 को इस प्रखंड का निरीक्षण किया गया था, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन 18-09-2001 को दर्शाया गया है। जिला विकास शाखा से इस संबंध में पूछने पर ज्ञात हुआ कि अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में अनुपालन प्रतिवेदन नहीं भेजकर गलत तिथि अंकित किया गया है। इस संबंध में प्रधान सहायक भी अपना स्पष्टीकरण दें। जिला विकास प्रशाखा, मधुबनी से अनुपालन प्रतिवेदन भेजने हेतु पत्रांक 2651/विकास, दिनांक 13-12-2001 को स्मरित भी किया गया है। नियमानुसार निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त के एक माह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन भेज दिया जाना चाहिए, जो नहीं किया गया है। उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा इस प्रखंड का निरीक्षण नहीं किया गया है जबकि वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी अगस्त, 2001 से ही कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली के नियम 52 एवं 80 के अनुसार प्रत्येक नियंत्री पदाधिकारी को अपने कार्यालय का वर्ष में दो बार निरीक्षण करना है। प्रखंड विकास पदाधिकारी भविष्य में इसे सुनिश्चित करेंगे।

7) सेवा पुस्तिका :-

सेवा पुस्तिका अनुसूची 53 फार्म 80 एम०जी०बी० फार्म नं०-239 प्रपत्र में संधारित है। प्रखंड में पदस्थापित विभिन्न सरकारी सेवकों का सेवा पुस्तिका का अवलोकन किया गया। प्राय: सभी सेवा पुस्तिका का सत्यापन 31-3-2002 तक किया गया है। मात्र पंचायत सेवकों का अवकाश लेखा अद्यतन नहीं है। इस प्रखंड में 17 पंचायत सेवक पदस्थापित है, परन्तु निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में मात्र 8 पंचायत सेवकों का ही सेवापुस्तिका उपलब्ध कराया गया। पूछने पर बताया गया कि निम्नांकित पंचायत सेवकों (1) मो० जकाउल्लाह का सेवापुस्तिका अंधराठाढ़ी प्रखंड से, श्री कमल कान्त ठाकुर का सेवापुस्तिका लदनियाँ प्रखंड से, श्री उपेन्द्र सिंह का सेवापुस्तिका बेनीपट्टी प्रखंड से, श्री गंगा प्रसाद राय का सेवापुस्तिका अंधराठाढ़ी प्रखंड से, श्री कुलानन्द राय का सेवापुस्तिका लखनौर प्रखंड से, श्री बिन्दु नाथ पाण्डेय, का सेवापुस्तिका लखनौर प्रखंड से, श्री पवन कुमार सिंह का सेवापुस्तिका बासोपट्टी प्रखंड से, श्री विजय कुमार झा का सेवापुस्तिका बाबूबरही प्रखंड से एवं श्री राज कुमार राय का सेवापुस्तिका रहिका प्रखंड से अप्राप्त है। सभी अप्राप्त सेवापुस्तिका के लिए संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र लिखें तथा संबंधित पंचायत सेवकों को सेवापुस्तिका ले आने हेतु संबंधित प्रखंडों में प्रतिनियुक्त कर अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त श्री सुशील कुमार ठाकुर, जनसेवक का सेवापुस्तिका मधेपुर प्रखंड से अप्राप्त है, जिसके लिए अविलम्ब पत्राचार करना सुनिश्चित करें।

8) सामान्य भविष्य निधि पासबुक :-

इस प्रखंड में पदस्थापित सभी सरकारी सेवकों का सामान्य भविष्य निधि पासबुक उपलब्ध है। मात्र प्रधान सहायक श्री जीवछ मोची का भविष्य

लगातार.....7/-

नधि पासबुक जिला स्थापना प्रशाखा, मधुबनी से अद्यतन उपलब्ध नहीं कराया गया है । प्रधान सहायक, जिला स्थापना को निर्देश दिया जाता है कि श्री
ाची का पासबुक अद्यतन कर अविलम्ब विस्फी प्रखंड को लौटाना सुनिश्चित करें ।

9) वेतन वृद्धि पंजी :-

इस प्रखंड में वेतन वृद्धि पंजी का संधारण किया गया है एवं सभी सरकारी सेवकों का वेतन वृद्धि से संबंधित तिथि अंकित की गयी है ।

10) जन शिकायत कोषांग पंजी :-

इस प्रखंड में जन शिकायत से संबंधित अलग पंजी का संधारण किया गया है परन्तु अब तक कितना आवेदन-पत्र प्राप्त हुआ, इस संबंध में कोई आँकड़ा
नरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में दर्शाया नहीं गया है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि जनता दरबार से संबंधित जितने भी आवेदन-पत्र जिला से
था प्रखंड में प्राप्त होते हैं, उसे पंजीकृत कर उसका निष्पादन त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें । बहुत से मामले ऐसे होते हैं, जिसका प्रखंड स्तर पर ही हो
ाना चाहिए, परन्तु प्रत्येक बृहस्पतिवार को अधोहस्ताक्षरी द्वारा आयोजित जनता दरबार में बहुत अधिक संख्या में लोग दूर-दूर से आकर अपनी व्यथा सुनाते हैं,
ो चिन्ता की बात है । प्रखंड विकास पदाधिकारी इस संबंध में संवेदनशील रहें ।

11) सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना पंजी :-

अधोहस्ताक्षरी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देश के आलोक में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन संबंधी सूचना के लिए एक पंजी संधारित की गयी है,
समें सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के बारे में उल्लेख किया जा रहा है ।

12) प्रतिभूति बंधपत्र :-

नियमानुसार प्रखंड नाजीर से 500/-रूपया एवं प्रधान सहायक से 250/-रूपया जमानत की राशि के रूप में प्रखंड नजारत में जमा कर दिया गया
।

13) पत्राचार :-

प्रखंड में पत्राचार पर नियंत्रण रखने हेतु निम्नांकित पंजियाँ संधारित की गई है :-

(क) अनुक्रमणिका पंजी
(ख) प्राप्त पत्रों की पंजी (1) साधारण (2) मुख्य

लगातार.... 8/-

(ग) निर्गत पत्रों की पंजी (1) साधारण (2) मुख्य
(घ) प्राप्त पत्रों की लंबित पंजी
(च) सहायकों की कर्म पुस्तिका
(छ) संचिका गति पंजी

(क) अनुक्रमणिका पंजी :-

जिला मुख्यालय से उपलब्ध करायी गयी अनुक्रमणिका के अनुसार कुल 62 विषयों पर संचिका संधारित की जा रही है ।

(ख) प्राप्त पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम-8 खण्ड-1 एवं 2 के अनुसार पत्राचार के लिए प्राप्त पत्रों की पंजी संधारित है । विगत तीन वर्षों में प्राप्त पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :-

वर्ष		प्राप्त पत्रों की संख्या
2000	-	1223
2001	-	1960 (सामान्य- 1726 एवं मुख्य- 234)
2002 (14-12-02 तक)	-	1222

(ग) निर्गत पत्रों की पंजी :-

बिहार अभिलेख हस्तक के नियम -8 खण्ड-1 एवं 2 के अनुसार पत्राचार के लिए निर्गत पत्रों की पंजी संधारित है । विगत तीन वर्षों में निर्गत किये ये पत्रों की स्थिति निम्नप्रकार है :-

वर्ष		निर्गत पत्रों की संख्या
2000	-	2225
2001	-	1552 (सामान्य-1508 एवं मुख्य 44)
2002 (14-12-02 तक)	-	1418 (सामान्य- 1346 एवं मुख्य-70)

लगातार....9/-

{घ} लंबित पत्रों की पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । इस पंजी के अनुसार लंबित पत्रों को लाल स्याही से लिखा गया है । विगत 3 माह, 6 माह एवं 1 वर्ष से कितना पत्र लंबित है, इसका कोई उल्लेख निरीक्षण प्रतिवेदन में नहीं किया गया है, जो गम्भीर विषय है । प्रधान सहायक स्पष्ट करें कि क्या इस प्रखंड में एक भी पत्र लंबित नहीं हैं ? प्रधान सहायक द्वारा बताया गया कि निदेशानुसार किस सहायक के पास कितनी संचिकाएँ/पंजी आदि हैं, का सहायकवार पंजी तैयार किया गया है । इस पंजी के रख-रखाव से संबंधित सहायक के स्थानान्तरण होने पर दूसरे सहायक को प्रभार सौंपने में आसानी होगी ।

{च} सहायकों की कर्म पुस्तिका :-

इस प्रखंड में सभी सहायकवार कर्म पुस्तिका संधारित है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि समय-समय पर सभी संबंधित सहायकों का कर्मपुस्तिका की जाँच किया करें ।

{14} रक्षी संचिका :-

रक्षी संचिका पूर्व से संधारित है, परन्तु व्यवस्थित ढंग से नहीं है । यह एक महत्वपूर्ण संचिका है, जिसमें सरकार से प्राप्त मार्गदर्शन या सुझाव अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्गत महत्वपूर्ण सुझाव/परिपत्र आदि को विषयवार संधारित किया जाता है । रक्षी संचिका सभी सहायकों के बैठने के पीछे के स्थान पर रहना चाहिए ताकि प्राप्त मार्गनिर्देश के अनुरूप वे अपने कर्त्तव्य का निर्वहन नियमानुसार कर सकें । प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका अनुपालन सुनिश्चित करावें ।

{15} प्रतिवेदन एवं विवरणी :-

प्रधान सहायक ने बताया कि सभी प्रकार के योजनाओं की प्रगति प्रतिवेदन जिला से प्राप्त मुद्रित प्रपत्र में भर कर तीन प्रति में तैयार किया जाता है, जिसकी एक प्रति प्रत्येक माह जिला स्तर पर आयोजित प्रधान सहायकों की बैठक में ले जाया जाता है, जिसे जिला विकास शाखा के प्रधान सहायक को प्राप्त कराया जाता है । दूसरी प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कराया जाता है एवं तीसरी प्रति कार्यालय प्रति के रूप में कार्यालय में सुरक्षित रखा जाता है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक माह विकास योजनाओं की समीक्षा की जाती है, जिसमें बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन की भी समीक्षा की जाती है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि जिला से उपलब्ध करायी गयी मुद्रित प्रपत्र में सही-सही आँकड़ा भरवाकर भेजना सुनिश्चित करें ।

लगातार....10/-

प्रधान सहायक नोट बुक :-

प्रधान सहायक द्वारा प्रधान सहायक नोट बुक का संधारण किया गया है, जिसमें पदाधिकारी द्वारा दिये गये मार्गनिर्देश/मार्गदर्शन का उल्लेख कर प्रभारी सहायक को अवलोकन कराया जाता है ।

अवकाश पंजी :-

अवकाश पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है, जिसमें सभी सहायक/अनुसेवक/पर्यवेक्षकों का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के पश्चात् आकस्मिक पंजी में क्या जाता है ।

डिस्पैच पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है । पोस्टल डाक एवं सामान्य डाक का इन्दराज इस पंजी में किया जाता है ।

कैलेन्डर पंजी :-

यह पंजी विहित प्रपत्र में संधारित है जिसमें नाजीर का फोटो चिपकाया गया है ।

विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों की पंजी :-

विधान सभा/लोक सभा प्रश्नों के लिए एक पंजी संधारित है । प्रधान सहायक को निर्देश दिया जाता है कि विधानसभा/लोक सभा प्रश्नों का सामग्री प्राथमिकता के आधार पर भेजना सुनिश्चित करें ।

भंडार पंजी :-

बोर्ड प्रक्रिया नियमावली के अन्तर्गत भंडार पंजी विहित प्रपत्र में संधारित होना चाहिए, जो संधारित है ।

मापी पुस्तिका निर्गत पंजी :-

इस प्रखंड में योजनाओं के लिए निर्गत किये गये मापी पुस्तिका संबंधी एक पंजी संधारित है, जिसमें निर्गत किये गये मापी पुस्तिका का लेखा-जोखा किया जाता है । निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह जिक्र नहीं किया गया है कि कितना मापी पुस्त प्राप्त हुआ, कितना निर्गत किया गया एवं कितना बचा हुआ है । प्रधान सहायक अविलम्ब स्पष्ट करें ।

लगातार...11/-

3) वाहन का लौग बुक एवं वाहन का इतिहास पंजी :-

निरीक्षण के क्रम में वाहन का लौग बुक एवं इतिहास पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया । प्रधान सहायक ने बताया कि इस प्रखंड में प्रखंड जीप की लामी करने का आदेश दिया गया है । जीप खराब रहने के कारण इससे कार्य नहीं लिया जा रहा है । प्रधान सहायक स्पष्ट करें कि प्रखंड जीप की निलामी सके आदेश से करने का दिया गया है एवं इसमें क्या प्रगति है ।

4) अंकेक्षण :-

अंकेक्षण के लिए एकअलग पंजी संधारित किया गया है । बताया गया कि वित्त विभाग द्वारा इस प्रखंड का अंकेक्षण किया गया है, परन्तु अंकेक्षण तिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन कराने हेतुअलग-अलग रक्षी संचिका संधारित है ।

5) रोकड़ पंजी :-

सामान्य रोकड़ बही टी०सी० फारम-6 में संधारित है तथा दिनांक 12-12-2002 तक लिखा गया है । सामान्य रोकड़ बही के अनुसार मो0 77,77,573=59 पैसा अवशेष दिखलाया गया है/जो अभी भी अप्रत्याशित रूप से अधिक प्रतीत होता है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस प्रखंड का वर्ष 2001 में निरीक्षण क्रम में सामान्य रोकड़ बही में अवशेष 2,51,06,911=66 पैसा दिखलाया गया था । सामान्य रोकड़ पंजी के अवलोकन से ज्ञात होता है कि कुल 45 मदों में शि रखी गई है, जिसका ब्यौरा निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम		अवशेष राशि
1-	प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना	-	8,23,047=00
2-	2515-पंचायत निर्वाचन	-	1,72,826=24
3-	आधारभूत संरचना	-	3,50,212=00
4-	दशम वित्त आयोग	-	3,43,991=00
5-	प्रोत्साहन भत्ता	-	4,60,584=00
6-	15 % योजना	-	83,653=00
7-	2515-सा0वि0 ख	-	20,653=23
8-	2515-(क) पंचायत	-	55,157=00
9-	2505-जवाहर रोजगार योजना	-	17,862=93

लगातार...12/-

10- 2202-शिक्षा	-	2,59,460=80
11- वृद्धावस्था पेंशन	-	3,41,241=29
12- जनगणना	-	38,621=00
13- बीस सूत्री	-	2,611=00
14- स्थायी अग्रिम	-	100=00
15- 2015-निर्वाचन	-	87,253=05
16- ट्रायसेम	-	2,34,954=06
17- 2225-कल्याण	-	3,02,765=00
18- जिला योजना	-	1,77,028=00
19- जमानत	-	4,075=40
20- मातृत्व अनुदान	-	16,118=00
21- इन्दिरा आवास	-	54,24,664=00
22- सांसद कोष	-	9,95,636=00
23- विधायक कोष	-	14,36,875=63
24- जोड़	-	10=00
25- पशुपालन	-	174=50
26- 2053- जिला प्रशासन	-	95=65
27- सामुदायिक सिंचाई	-	3,03,855=00
28- चरवाहा विद्यालय	-	37,938=45
29- सुनिश्चित रोजगार योजना	=	11,73,522=00
30- ग्रामीण चापाकल	-	2,333=00
31- राष्ट्रीय पोषाहार	-	1,04,740=60
32- सी0बी0सी0स्का0	-	4,000=00
33- बुनियादी न्यूनतम सेवा	-	13,71,125=00
34- विविध	-	21,730=00
35- विशेष अंगीभूत योजना	-	1,68,750=00
36- एम्बुलेंस	-	3,330=20
37- सूद	-	9,58,210=68
38- 305-कृषि	-	1,96,032=68

लगातार....13/-

39- पंचायत समिति	–	1,72,551=00
40- आई०पी०पी०	–	28,450=00
41-पारिवारिक लाभ	–	1,842=00
42- एकादश वित्त आयोग	–	2,54,800=00
43- 2071- पेंशन	–	76,760=00
44- 8011-ग्रुप बीमा	–	59,881=00
45- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना	–	11,90,406=00
	कुल:-	1,77,77,578=59

रोकड़ बही के अनुसार उपर्युक्त राशि का बैंकवार स्थिति निम्नवत है :-

क्रमांक	खाता संख्या	बैंक का नाम	शीर्ष	राशि
1-	3865	पी०एन०बी०, विस्फी	विधायक कोष	13,19,857=43
2-	5710	पी०एन०बी०, विस्फी	सांसद कोष	9,09,074=00
3-	1488	पी०एन०बी०, बेलौंजा	–	93,794=39
4-	010000540	एस०बी०आई०, मधुबनी	–	4,48,241=51
5-	070	एस०बी०आई०, रहिका	–	500=00
6-	1820	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	–	89,853=20
7-	3164	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, चहुटा	सम्पूर्ण ग्रामीणरोजगार योजना	12,69,018=00
8-	2970	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, औंसी	–	2,89,680=00
9-	2302	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, परसौनी	–	23,740=00
10-	1704	क्षेत्रीय ग्रामीणबैंक, बरहा	–	22,706=00
11-	1959	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	इन्दिरा आवास योजना-80 ✗	26,62,084=00
12-	1960	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	बुनियादी न्यूनतम सेवा	2,030=00
13-	1956	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	जिला योजना	2,060=00
14-	1957	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	प्रोत्साहन भत्ता	1,21,604=00
15-	1958	क्षेत्रीय ग्रामीणबैंक, विस्फी	सुनिश्चित रोजगार योजना	9,91,569=00
16-	6787	को-ऑपरेटिव बैंक, विस्फी	प्रधानमंत्री ग्रामीणआवास योजना	8,23,875=00

लगातार...14/-

17-	1961	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	ग्रामीण चापाकल	2,333=00
18-	6788	को-ऑपरेटिव बैंक, विस्फी	राष्ट्रीय पोषाहार	84,162=00
19-	1984	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	पशुपालन	174=00
20-	1985	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	सामुदायिक सिंचाई	3,03,855=00
21-	1986	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	चरवाहा विद्यालय	37,938=00
22-	1973	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	दशम वित्त आयोग	4,00,691=00
23-	1974	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	पंचायत निर्वाचन	1,50,776=74
24-	1975	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	15 % योजना	83,653=00
25-	1976	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	2202 शिक्षा	2,57,665=30
26-	1972	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	आधारभूत संरचना	3,50,212=00
27-	1977	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	वृद्धावस्था पेंशन	2,69,159=00
28-	1978	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	बीस सूत्री	261=00
29-	1979	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	2015-निर्वाचन	2,053=00
30-	1982	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	कल्याण	2,98,745=50
31-	1983	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	मातृत्व अनुदान	1,698=00
32-	1981	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	ट्रायसेम	1,76,435=56
33-	1975	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	305-कृषि	1,85,784=43
34-	2075	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	पंचायत समिति	1,72,651=00
35-	2228	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रघौली	-	62,088=00
36-	2128	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रघौली	-	1,354=85
37-	2121	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विस्फी	-	2,54,809=00
38-	6796	को-ऑपरेटिव बैंक, विस्फी	इन्दिरा आवास 20 %	8,51,825=25
			कुल :-	1,77,77,578=59

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभी भी बहुत सी राशि जो खर्च करने योग्य है, विभिन्न सहायक रोकड़ बही में ी हुई है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस प्रखंड का वर्ष 2001 में भी निरीक्षण किया गया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि ी मद के कागजात एवं अभिलेखों का छानबीन कर यह देख लिया जाय कि उक्त मद में कोई कार्य चल रहा है अथवा नहीं । यदि राशि की आवश्यकता नहीं

लगातार...15/-

तो कोषागार चलान द्वारा जमा करने की कार्रवाई करें, परन्तु उक्त निर्देश का अनुपालन अभी तक नहीं किया गया है, जो बहुत ही खेद एवं चिन्ता की त है । रोकड़ बही के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत निर्वाचन मद में 1,72,826/-रूपया, 15 % योजना में 83,653/-रूपया, 2015-र्वाचन मद में 87,253/-रूपया 2225-कल्याण में 3,02,765/-रूपया, जिला योजना में 1,77,028/-रूपया, सांसद कोटा में 9,95,636/-रूपया, सामुदायिक ार्ई मद में 3,03,855 /-रूपया, इन्दिरा आवास योजना में 54,24,664/-रूपया, सुनिश्चित रोजगार योजना मद में 11,73,522/-रूपया, बुनियादी न्यूनतम कार्यक्रम में 13,71,125/-रूपया, विशेष अंगीभूत योजना में 1,68,750/-रूपया, सूद की राशि में 9,58,210/-रूपया, 305-कृषि मद में 1,96,032/-रूपया ान मंत्री ग्रामीण आवास योजना मद में 8,23,047/-रूपया अवशेष पड़ा हुआ है, जो अप्रत्याशित रूप से अधिक प्रतीत होता है ।

सहायक रोकड़ बही के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए, इन्दिरा आवास योजना % एवं 20 % के लिए अलग-अलग एक ही पंजी संधारित है, जो गलत है । प्रखंड नाजीर को निर्देश दिया जाताहै कि राज्य एवं राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन जना के लिए अलग-अलग सहायक रोकड़ बही एवं इन्दिरा आवास योजना (80 % एवं 20 %) के लिए अलग-अलग सहायक रोकड़ बही का संधारण सुनिश्चित । 2015-निर्वाचन मद में 87,253/-रूपया अवशेष दिखलाया गया है । यह पूछे जाने पर यह किस मद का पैसा है, तो बताया गया कि यात्रा भत्ता मद में राशि बची हुई है, जिसे समायोजित करने का निर्देश दिया जाता है । साथ ही यह भी निर्देश दिया जाता है कि यदि इस मद में और भी राशि की श्यकता हो तो औचित्य के साथ जिला मुख्यालय से मांग करें । सहायक रोकड़ बही के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि सूद के मद में लगभग 9,58,210/-या अवशेष है । यह पूछे जाने पर यह राशि किस कार्यक्रम का है, तो प्रखंड नाजीर अनभिज्ञ रहे । इस संबंध में यह निर्देश दिया जाता है कि सूद की राशि कार्यक्रम का है, उसी मद में रखा जाय । अर्थात सहायक रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक में कार्यक्रमवार सूद को पैसा रखा जाय ताकि यह पता चल सके कि किस क्रम में कितना सूद बैंक से प्राप्त हुआ । इसी प्रकार विविध में 21,730/-रूपया अवशेष दिखलाया गया है, जो बहुत ही गम्भीर विषय है । पूर्व में भी निर्देश ा गया था कि विविध करके कोई खाता नहीं रखा जाय, परन्तु अभी तक उसका अनुपालन नही किया गया है । प्रधान सहायक/नाजीर इस संबंध में अपना टीकरण दें । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि दिये गये निर्देश का अनुपालन एक सप्ताह के अन्दर करना सुनिश्चित करें एवं अनुपालन वेदन भेजें ।

<u>बैंक खाता का सत्यापन :-</u>

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत टिप्पणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 12 बैंकों में रखी गई राशि का सत्यापन दिनांक 12-12-2002 को कराया गया सत्यापनोपरान्त अन्तर की राशि के संबंध में निर्देश दिया जाता है कि निर्गत चेक, जिसका भुगतान या तो नहीं किया गया है अथवा जिसका कलेक्सन

लगातार... 16/-

होकर नहीं आया है की जाँच संबंधित विभाग से कराकर मिलान किया जाय ताकि सहायक रोकड़ पंजी एवं पासबुक का अंतशेष का योग मिल सके । प्रखंड नाजीर को यह भी निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक माह के अन्तिम सप्ताह में सभी बैंकों में सम्पर्क स्थापित कर बैंक द्वारा संधारित पासबुक एवं रोकड़पंजी का सत्यापन करायेंगे एवं संबंधित बैंकों से उक्त खाता का अवशेष राशि से संबंधित एक प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे । यद्यपि इस प्रखंड में प्रखंड नाजीर द्वारा रोकड़पंजी एवं बैंक पासबुक का संधारण अच्छे ढंग से किया जा रहा है, जो सराहनीय है ।

{27} अग्रिम :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रोकड़ बही के अनुसार मो0 22,05,243=57 रूपया अग्रिम के रूप में है, जो अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी राशि है । उपरोक्त राशि किस प्रयोजन के लिए एवं कब दी गयी की सूची प्रखंड नाजीर द्वारा तैयार किया गया है। प्रखंड नाजीर ने बताया कि अग्रिम की वसूली हेतु सभी संबंधित को नोटीस निर्गत किया गयाहै । अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस प्रखंड का वर्ष 2001 में किये गये निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत प्रतिवेदनानुसार अस्थायी अग्रिम के रूप में मो0 10,03,283=37 पैसा का जिक्र किया गया था । मात्र एक वर्ष में 10;00 लाख से अधिक अग्रिम स्वीकृत किया जाना एवं राशि का समायोजन नहीं किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितता का द्योतक कहा जा सकता है । अग्रिम लेने वालें की सूची निम्नवत है :-

क्रमांक	अग्रिम लेने वाले का नाम	पदनाम	प्रयोजन	अग्रिम लेने की तिथि	राशि
1-	चन्द्रदेव पाण्डेय	जीपचालक	-	-	954=20
2-	सुरेन्द्र प्रसाद		-	-	520=19
3-	श्याम बल्लभ लाल दास	पंचायतसेवक	-	-	270=00
4-	कैलाशपति झा	स्व. डब्लू.	-	-	265=00
5-	फकीर महतो	पंचायतसेवक	-	-	370=00
6-	रवि लाल मेहरा	प्र0सां0पर्य0	लोक सभा निर्वा0-89	15-12-89	350=00
7-	के0एन0सहगल	डी.सी.	-	02-02-68	35=30
8-	सुनिद पासकी		पोषाहार गेहूँ परिवहन	10-03-97	1000=00
9-	बी0एन0मिश्र	एम. ओ.	बुथ मरम्मति हेतु	21-05-80	200=73
10-	अरूण कुमार श्रीवास्तव	एम. ओ.	-	08-01-72	140=00
11-	एस0एन0चौधरी	पर्यवेक्षक	निर्वाचन हेतु	25-10-59	432=00
12-	जे0एन0जिलानी	एम. ओ.	कपड़ा खरीद हेतु	03-05-73	50=00

लगातार..17/-

13-	रामेश्वर सिंह	एस० डब्लू०	दवा के लिए	20-04-70	15=00
14-	रामपूत ठाकुर	सी०ई०एस०	प्रशिक्षण हेतु	05-11-71	2200=00
15-	ऋषिकेश ठाकुर	एम०सी०	ब्लौक में दवा रखने हेतु ।	17-11-71	70=00
16-	रामजीवन यादव	ए०ई०एफ०	चिकित्सा कार्यलिय	25-03-71	65=00
17-	देव सिंह	मेडिकल प्यून	दवा हेतु	28-05-70	10=00
18-	कुशेश्वर झा	वार्ड		22-03-71	115=00
19-	रामदेव मिश्र	पंचायतसेवक		22-02-72	1304=00
20-	वेचन मिश्र	पंचायत सेवक		22-07-71	142=00
21-	राम विलास ठाकुर	पंचायत सेवक		10-07-72	25=00
22-	मुरारी शारणप्रसाद	पंचायत सेवक		23-02-72	25=00
23-	आर०एन०वर्मा	पंचायत सेवक		05-07-72	75=00
24-	ताराकान्त झा	अम्बर		05-07-72	200=00
25-	हृदय नारा० दास	कम्पाउन्डर		14-08-72	50=00
26-	अब्दुल केयुम	रा० कर्मचारी		22-11-72	800=00
27-	दशरथ पासवान	प्यून		21-05-73	55=00
28-	विष्णुदेव ओझा			12-02-73	100=00
29-	आर०एन०चौधरी			25-07-72	81=00
30-	सुरेन्द्र प्र०सिंह	कर्मचारी	बुथ मरम्मति हेतु	07-79	300=00
31-	बागेश्वर सिंह	कर्मचारी	सा०सु०पेंशन बाँटने हेतु ।	13-06-84	370=00
32-	योगेन्द्र पासवान		बुथ मरम्मति हेतु	16-10-82	400=00
33-	राम बेचन यादव	ग्रा०पं०रा०बहुटा	बुथ मरम्मति हेतु	21-05-80	400=00
34-	हरेकृष्ण लाल दास	कर्मचारी	बुथ मरम्मति हेतु	29-05-80	200=00
35-	माधव सिंह	पंचायत सेवक	बुथ मरम्मति हेतु	17-05-80	200=00
36-	कृष्ण कुमार यादव	सहायक	गृह अनुदान वितरण	27-04-89	1000=00
37-	रिछपाल खण्डेलवाल, सिमेन्ट थोक विक्रेता	मधुबनी	सिमेन्ट हेतु	16-06-85	16407=00
38-	देवीकान्त	स०प्र०पदा	निर्वाचन हेतु	15-12-84	100=00

लगातार.... 18/-

39-	भुवनेश्वर लाल दास	पंचायत सेवक	बुथ मरम्मति हेतु	21-10-89	8622=50
40-	रामाशीष सिंह	पंचायत सेवक	आकृति वर्चा प्रशिक्षण हेतु ।	21-08-89	3796=00
41-	सत्य नारायण गुप्ता	प्र०कृ०पदा०	पौधशाला हेतु	10-03-88	200=00
42-	जय नारायण यादव	जनसेवक	इन्दिरा आवास सामग्री हेतु ।	13-07-90	241531=00
43-	गोड़ी कान्त झा	पंचायत सेवक	वेतन अग्रिम/नाव मरम्मति	16-08-89	575=00
44-	तसीरूल इसलाम	पंचायत सेवक	नाव मरम्मत	26-06-90	1430=00
45-	इन्द्र नारायण ठाकुर	जीपचालक		25-08-89	28=50
46-	धनुषधारी मल्लिक	कर्मचारी	बुथ बनाने हेतु	15-05-88	450=00
47-	गोविन्द मिश्र, मिथिला मशीन	मधुबनी	ट्राईसिम सामान	28-09-88	1800=00
48-	मेहदी हसन साबुन केन्द्र रघौली ।	रघौली	कच्चा माल खरीदने हेतु ।	03-06-88	100=00
49-	अमरनाथ झा	जगतपुर	प्रशिक्षण सामग्री	27-12-88	800=00
50-	श्रीमती सरोज श्रीवास्तव		कच्चा माल क्रय हेतु	27-12-88	1000=00
51-	सुरेन्द्र यादव	डीहटोल	कृषि सिलाई-कटाई	01-03-89	1000=00
52-	रामदेव ठाकुर	कमतौल	पेंशन हेतु	04-09-90	5340=00
53-	सुरेन्द्र ठाकुर	पंचायत सेवक	पेंशन वितरण	21-11-89	180=00
54-	मो० इमरान	सहायक	पेंशनवितरण	28-04-89	3760=00
55-	रविनाथ पंडित	पंचायत सेवक	बुथ मरम्मति हेतु	13-07-90	3230=00
56-	रविकृष्ण		पेंशन एवं गृह अनुदान	16-06-89	2500=00
57-	जयकान्त सिंह	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन वितरण	16-01-02	7255=00
58-	कपिलदेव यादव	पंचायत सेवक	तदैव	04-10-97	1780=00
59-	निजामुद्दीन परवाना	उर्दू अनुवादक	तदैव	07-09-00	22566=70
60-	रामजानकी सिंह	अनुसेवक	वेतन अग्रिम	22-10-01	17570=00

लगातार... 19/-

61-	नवीन किशोर	सां०पर्यवेक्षक	जनगणना हेतु	12-08-98	9870=00
62-	मो० अयूब	पंचायत सेवक	पेंशन वितरण	16-12-98	9870=00
63-	जमील अख्तर	जीपचालक	गाड़ी मरम्मति	08-10-90	975=00
64-	अताउर रहमान	सहायक	जीपचालक के भुगतान हेतु ।		200=00
65-	सुदर्शन लक्की ऑटो-मोबाईल	दरभंगा	गाड़ी मरम्मति हेतु	26-09-91	3500=00
66-	सूरज पासवान	अनुसेवक	वेतन अग्रिम	10-12-01	4043=00
67-	शिवनारायण यादव	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन	27-12-81	13350=00
68-	शिवजी चौधरी	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन	27-12-01	31950=00
69-	भोगेन्द्र प्र०सिंह	रा०कर्मचारी	तदैव	31-05-97	100=00
70-	हरेराम झा,शंकरफर्नीचर	मधुबनी	सामग्री क्रय हेतु	16-01-02	13000=00
71-	गंगाराम राउत	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन वितरण हेतु ।	13-01-02	53275=00
72-	मो० सलीम	पंचायत सेवक	तदैव	26-07-02	22826=00
73-	राम मिश्र	सहायक	तदैव	01-12-96	3558=00
74-	महादेव ठाकुर	पंचायत सेवक	तदैव	16-12-96	6710=00
75-	रामसेवक ठाकुर	ग्रा०पं०पर्य०	तदैव	15-02-93	7804=00
76-	सकराउल्लाह	लेखालिपिक	जनगणना कार्य	04-04-91	200=00
77-	इन्द्र नारायण सिंह	कर्मचारी	साहायुयदूकान हेतु गेहूँ।	30-07-96	200=00
78-	सुरेन्द्र झा	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन	08-01-02	18350=00
79-	दिनेश कुमार वर्मा	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन	08-01-02	21600=00
80-	मो० यासीन	पंचायत सेवक	तदैव	11-12-01	2700=00
81-	अशोक कुमार मंडल	छजवा	जीप मरम्मति एवं सोमवारी मेला	24-08-97	5000=00
82-	राम बहादुर यादव	पंचायत सेवक	वृद्धावस्थापेंशन	27-12-01	6500=00
83-	सुरेन्द्रप्रसाद	बरवाहा वि०, पर्यवेक्षक	ट्राईसम अग्रिम	31-10-96	2000=00
84-	उमेशझा	सहायक	लड़की के दुरागमन हेतु ।	21-06-01	23434=70
85-	सुभाष चन्द्र झा	कनीय लेखालिपिक	वेतन अग्रिम	21-06-01	20000=00
86-	अभिमल प्र०सिंह,मुखिया	रघौली	पटनाजाने हेतु	17-02-01	350=00

लगातार...20/-

87-	कृष्णादेव यादव,मुखिया	रथौस	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
88-	मोहसीन मोमताज,मुखिया	तिसी नरसाम	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
89-	हजारी साह,मुखिया	राघोपुर	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
90-	शालो ग्राम यादव,मुखिया	विस्फी	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
91-	भूपनारायण झा,मुखिया	परसौनी	पटना जाने हेतु	17-02-97	350=00
92-	सूर्य नारायण यादव,"	बजराहा	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
93-	मो0 कमरूजम्मा,मुखिया	नूरचक	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
94-	अब्दुल हई,मुखिया	औंसी	पटना जाने हेतु	17-02-97	350=00
95-	कामेश्वर ठाकुर,प्रमुख	प्रमुख	पटनाजाने हेतु	17502-97	350=00
96-	रामदेव यादव,मुखिया	सिमरी	पटनाजानेहेतु	17-02-97	350=00
97-	गंगाधर साह,मुखिया	जफरा	पटना जाने हेतु	17-02-97	350=00
98-	कमरूल जमा,मुखिया	भैरवा	पटना जाने हेतु	17-02-97	350=00
99-	शिव कुमार झा,मुखिया	सिंगिया	पटना जाने हेतु	17-02-97	350=00
100-	सूर्यकान्त झा,मुखिया	सोहास	पटना जाने हेतु	17-02-97	350=00
101-	उमेश कुमार चौधरी	वहटा	पटनाजाने हेतु	17-02-97	350=00
102-	गंगा प्रसाद यादव	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन	11-12-01	32600=00
103-	विष्णुदेव भंडारी	पंचायत सेवक	तदैव	11-12-01	43525=00
104-	आनन्द कुमार झा	पंचायत सेवक	तदैव	06-02-01	30350=00
105-	ज्ञानेन्द्र कुमार	सहायक	वेतन अग्रिम	28-05-02	45660=00
106-	कपिलेश्वर यादव	प्र0कृ0प0दा0	यात्रा भत्ता हेतु	01-10-02	2500=00
107-	डा0 अरविन्द कु0 सिंह	प्र0प0शु0प0दा0	राँची जाने हेतु	09-07-02	2591=00
108-	लक्ष्मी साफी	प्र0शि0प्र0प0दा0	पोषाहार एवं प्रोत्साहन भता	29-11-02	554640=00
109-	रीता कुमारी,म0प्र0प0दा0	म0प्र0प0दा0	स्वयं समूह सहायता हेतु।	01-11-02	954=00
110-	सईद अहमद	स0उर्दू0अनुवादक	पल्स पोलियो हेतु	28-08-01	4200=00
111-	मुखिया/वार्ड सदस्य/ एवं अन्य।	2 अक्टूबर,01	पटनाजाने हेतु	29-09-01	50000=00
112-	भोला प्र0 दास	लेखा लिपिक	वेतन बंटवारा हेतु	10-02-02	34610=00

लगातार...21/-

113-	पवन कुमार सिंह	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन वितरण हेतु ।	20- 04-02	26000=00
114-	अमरनाथ यादव	सहायक	वेतन एवं निर्वा०	18-01-02	7300=00
115-	अब्दुल लतीफ	लेखा लिपिक	पोषाहार अनुदान	28-08-02	16041=00
116-	त्रिपुरानन्दझा	सहायक	वेतन एवं निर्वाचन	19-02-02	16399=00
117-	कामोद झा	प्र०स०प्र०पदा०	मातृत्व अनुदान हेतु	31-03-02	13500=00
118-	विनय कुमार लाल दास	पंचायत सेवक	वृद्धावस्था पेंशन वितरण हेतु ।	28-06-02	40800=00
119-	कुलानन्द राय	पंचायत सेवक	तदैव	18-10-02	26800=00
120-	राज लालयादव	जनसेवक	तदैव	29-10-02	10825=00
121-	गंगा प्रसाद राय	पंचायत सेवक	तदैव	29-10-02	20125=00
122-	राज कुमार राय	पंचायत सेवक	तदैव	27-06-02	22400=00
123-	कमल कान्तठाकुर	पंचायत सेवक	तदैव	01-11-02	23800=00
124-	जक्का उल्लाह	पंचायत सेवक	तदैव	11-10-02	29750=00
125-	राम नारायण ठाकुर	पंचायत सेवक	तदैव	01-11-02	52350=00
126-	गंगा यादव	पंचायत सेवक	तदैव	29-10-02	6025=00
127-	विजय कुमार झा	तदैव	तदैव	15-03-02	36700=00
128-	मनोज कुमार	जनसेवक	तदैव	29-10-02	20341=00
129-	विन्दु नाथ पाण्डेय	पंचायत सेवक	तदैव	29-10-02	45400=00
130-	शिव लाल साह	पंचायत सेवक	तदैव	18-10-02	27295=00
131-	उपेन्द्र सिंह	पंचायत सेवक	तदैव	01-11-02	57600=00
132-	विश्वनाथ कामत	पंचायत सेवक	तदैव	18-11-02	11433=00
133-	निलाम्बर झा	रा०कर्मचारी	तदैव	01-11-02	16125=00
134-	सुशिल कुमार ठाकुर	जनसेवक	तदैव	22-11-02	72000=00
135-	उमाशंकर ठाकुर	रा०कर्मचारी	वृद्धावस्था पेंशन	13-04-02	21600=00
136-	हीना ऑटोसर्विस	ओपि०	डिजल/पेट्रोल	01-11-02	10143=00
137-	श्याम राम	झाड़ूकश	सामान खरीद हेतु	23-08-02	700=00
138-	हरिनारायण पंडित	प्र०शि०प्र०पदा०	प्रोत्साहन भत्ता	01-10-02	50000=00

लगातार.... 22/-

139-	विजय प्रेस, जयनगर		स्वयं सहायता हेतु सामग्री	01-10-02	60,000=00
140-	सत्य नारायणठाकुर	रा०कर्मचारी	वृद्धावस्था पेंशनहेतु	29-10-02	2,775=00
141-	योगेन्द्र प्रसाद ओझा	धजवा	गाड़ी भाड़ा आदि	29-10-02	5,000=00
142-	मोहनपाठक	रा०कर्मचारी	वृद्धावस्था पेंशन	01-11-02	7,200=00
				कुल योग :-	22,05,243=57

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता हैकि अग्रिम लेने वालों की सूची के क्रमांक । से 5 तक के कर्मचारी द्वारा अग्रिम किस प्रयोजन हेतु एवं कब ली गई का जिक्र सूची में नहीं है । इसी प्रकार क्रमांक 18 से 29 तक की सूची में वर्णित कर्मचारी द्वारा किस प्रयोजन हेतु अग्रिम लिया गया, के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गयाहै । प्रखंड नाजीर इसे स्पष्ट करें । उपर्युक्त आँकड़ा के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता हैकि अधिकांश अग्रिम प्रोत्साहन भत्ता/वृद्धावस्था पेंशन वितरण के लिए संबंधित सरकारी सेवक को अग्रिम स्वीकृत किया गया । परन्तु क्या संबंधित सरकारी सेवक द्वारा अग्रिम के समायोजन हेतु अभिश्रव कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गयाहै । पूर्व में भी इस कार्यालय का निरीक्षण के क्रम में यह निर्देश दिया गया था कि अग्रिम वसूली हेतु प्रखंड विकास पदाधिकारी अभियान चलाकर राशि कासमायोजन करावें ,परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि दिये गये निर्देश का अक्षरशः अनुपालन नहीं किया गयाजो दुःखद है । अग्रिम समायोजन का मुख्य दायित्व प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर का है । अतः पुनः निर्देश दिया जाताहै कि सभी संबंधित कर्मचारी जिनके द्वारा अग्रिम का समायोजन नहीं किया गया है, को तुरत नोटिस निर्गत करते हुए उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी कोभी दें ताकि जिला स्तरसे भीराशि वसूली की दिशा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके । वैसे सरकारी सेवक जिनका स्थानान्तरण इसी जिला के किसी प्रखंड/अंचल में हो गया है, एवं जिन्होंने अग्रिम लिया है, को उनके पदस्थापन कार्यालय के नियंत्री पदाधिकारी को पत्र लिखकर राशि वसूली की दिशा में अविलम्ब आवश्यक कार्रवाईकी जाय एवं उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी कोभी दी जाय । प्रखंड विकास पदाधिकारी/प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर इसकाअनुपालन दृढ़तापूर्वक अविलम्ब सुनिश्चित करें ।

{28} अभिश्रव :-

इस प्रखंड में अभिश्रव के रूप में 26,08,912=24रूपया की राशि सन्निहित है, जिसका सामंजन आवंटन के अभाव में नहीं हुआ है । प्रखंड नाजीर द्वारा शीर्षवार अभिश्रव की तालिका तैयार किया गया है, जो निम्नप्रकार है :-

क्रमांक	शीर्ष का नाम	राशि
1-	जनगणना	37,597=50

लगातार.... 23/-

2-	2015- निर्वाचन	-	4,97,659=67
3-	29-मेडिकल	-	52=69
4-	सामाजिक सुरक्षा	-	2,761=50
5-	229 एल0आर	-	486=53
6-	289 साहाय्य	-	1,28,790=20
7-	आर्थिक सुधार	-	12,000=00
8-	नर्सरी	-	100=00
9-	कुम्हारगिरी	-	450=00
10-	नोटिंग	-	1,10,517=50
11-	पोषाहार	-	71,131=20
12-	सांसद कोष	-	1,105=00
13-	विधायक कोष	-	9,240=00
14-	सु0रो0योजना	-	83,068=75
15-	पंचायत समिति	-	566=00
16-	20-सूत्री	-	675=00
17-	2505-ज0रो0योजना	-	50,752=25
18-	प्रोत्साहन भत्ता	-	640=00
19-	इन्दिरा आवास योजना	-	2,098=00
20-	बुनियादी न्यूनतम सेवा	-	2,600=00
21-	एस0जी0एस0वाई0	-	424=00
22-	आई0आर0डी0पी0	-	1,407=50
23-	2515-पंचायत निर्वाचन	-	34,219=47
24-	विधि-व्यवस्था	-	66,203=40
25-	कठिन ग्राम योजना	-	1,000=00
26-	कल्याण	-	26=95
27-	2053-जिलाप्रशासन	-	1,566=00
28-	चतुर्थ आर्थिक गणना	-	1,380=00
29-	2515-सा0वि0(ख)	-	14,90,393=13
		कुल :-	26,08,912=24

लगातार.....24/-

उपर्युक्त शीर्ष के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसे वर्षवार तैयार नहीं किया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि अभिश्रव को शीर्षवार/वर्षवार तैयार कर सन्निहित राशि के लिए जिला मुख्यालय से आवंटन की मांग करें ताकि सरकार से भी राशि की मांग की जा सके । अभिश्रव पारित करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि क्रय किये गये सामग्रियों से संबंधित अभिश्रव का भंडार पंजी प्रमाण-पत्र उस पर अंकित हो । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखनाचाहिए कि अभिश्रव पारित करते समय राशि स्वीकृत है अथवा नहीं । प्रखंड विकास पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे ।

{29} राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणी के अवलोकन से ज्ञात होताहै कि राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत इस प्रखंड में 14-12-2002 तक कुल 2746.62 किलो 450 ग्राम उपलब्ध कराया गया, जिसके विरूद्ध मात्र 1754.48 किलो 500 ग्राम गेहूँ वितरित किया गयाहै, जो बहुत ही कम है । इसी प्रकार पोषाहार के परिवहन व्यय में कुल प्राप्त आवंटन 89,357/- के विरूद्ध 24,549/-रूपया ही व्यय कियागयाहै एवं अवशेष राशि 64,808/-रूपयाहै । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि अवशेष गेहूँ का वितरण अविलम्ब कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजें । इस कार्य हेतु प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी को लगावें एवं वितरण कार्य का स्वयं भी समय-समय पर पर्यवेक्षण करें ।

{30} प्रोत्साहन भत्ता :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत विवरणा के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रोत्साहन भत्ता मद में कुल उपलब्धराशि 4,84,445/-रूपया के विरूद्ध अभी तक मात्र 3,41,445/-रूपया ही वितरण किया गया है । शेष 1,43,000/-रूपया वितरण हेतु अवशेष हैं । बताया गया कि श्री लक्ष्मी साफी एवं श्री हरि नारायण पंडित, प्रखंड शिक्षाप्रसार पदाधिकारी को राशि वितरण हेतु अग्रिम दिया गया था, जिसे वितरण करने के पश्चात् उनके द्वारा अभिश्रव कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसका समायोजन कर लिया गया है । शेष वितरित राशि का अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछने कानिर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया जाताहै ।

{31} दशम वित्त आयोग :-

दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत इस प्रखंड में ग्राम-हीरोपट्टी एवं सलेमपुर में बालिका बिहार एवं ग्राम-सिमरी में बालिका आवासीय विधालय चल रहा है । इस योजना के तहत इस प्रखंड को कुल मो0 5,33,111=00/-रूपया आवंटन उपलब्ध कराया गया है, जिसके विरूद्ध मात्र 1,89,120/-रूपया

लगातार... 25/-

ही व्यय हो पाया है,जो बहुत ही चिन्ताजनक स्थिति है । अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रत्येक माह विकास योजनाओं की समीक्षा के दौरान इस योजना के प्रगति की समीक्षा की जाती है ,परन्तु प्रगति संतोषजनक नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि उपावंटित राशि को यथाशीघ्र व्यय करने की दिशा में कारगर कदम उठाना सुनिश्चित करें ।

{32} स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस योजना के तहत विभिन्न बैंकों में भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 376 के विरुद्ध 269 आवेदन-पत्र बैंकों में भेजे गये हैं । साथ ही बैंक द्वारा अब तक मात्र 37 आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये हैं,जो अत्यन्त ही निराशाजनक स्थिति है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित बैंकों के प्रबंधक को बुलाकर सरकार के इस महत्वाकांक्षी योजना में लाभुकों को अधिक से अधिक ऋण मुहैया कराने की दिशा में तीव्रता से कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिया जाय । जो बैंक इसका अनुपालन नहीं करते हैं ,उनके विरुद्ध स्पेशीफिक प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजा जाय ताकि बैंक के उच्चाधिकारी को उनके विरुद्ध सूचित किया जा सके ।

{33} आधारभूत संरचना का निर्माण :-

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजनान्तर्गत आधारभूत संरचना मद में उपलब्ध राशि से इस प्रखंड में प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र का निर्माण कराया जा चुका है । इसी योजना के तहत मत्स्य पालकों के विकास हेतु सरकारी पोखर के भिंडा पर भवन निर्माण हेतु स्वीकृति दी गयी थी,परन्तु विकास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि इस प्रखंड में प्रखंड परिसर में ही मत्स्य पालन प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ करा दिया गया है, जिसे गत माह की बैठक में ही कार्य बन्द कर सरकारी पोखर के भिंडा पर निर्माण कार्य कराने का आदेश दिया गया था । इस योजना की प्राक्कलित राशि 5.00 लाख रुपया है,जिसके विरुद्ध सम्पूर्ण राशि प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जा चुका है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निर्माण कार्य को अविलम्ब बन्द करते हुए सरकारी पोखर के भिंडा पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराना सुनिश्चित करें ।

{34} स्वयं सहायता समूहों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन :-

स्वयं सहायता समूह का मासिक प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड में स्वयं सहायता समूह के अन्तर्गत कुल 97 समूह कार्य कर रहे हैं । प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिकांश समूहों का बैंक खाता नहीं खुला है। यह स्थिति अत्यन्त गम्भीर है । प्रखंड विकास

लगातार....26/-

धिकारियों की मासिक बैठक में इस संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की जाती है, परन्तु प्रगति चिन्ताजनक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी/महिला प्रसार पदाधि-
ी को निर्देश दिया जाता है कि बैठक में दिये गये निर्देश के आलोक में स्वयं सहायता समूह का बैठक कर ग्रेडिंग करते हुए परिक्रमी निधि उपलब्ध कराने हेतु
क से अधिक संख्या में आवेदन-पत्र बैंकों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । साथ ही वैसे बैंक जो स्वयं सहायता समूह को वित्त पोषित नहीं करते हैं, उसके
में स्पष्ट प्रतिवेदन जिला कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ।

6) इन्दिरा आवास योजना (80 %) :-

इस प्रखंड में इन्दिरा आवास योजना (80 %) में 1-4-2002 को अवशेष राशि 39,94147/-रूपया दर्शाया गया है । वर्तमान वित्तीय वर्ष
मो0 34,64,575/-रूपया प्राप्त हुआ है । इस प्रकार उक्त योजना में इस प्रखंड में 74,58,722/-रूपया प्राप्त हुआ है, जिसके विरूद्ध 25,93,934/-रूपया वितरित
या गया है । अभी भी इस मद में 48,64,789/-रूपया पड़ा हुआ है, जो गम्भीर है । वित्तीय वर्ष समाप्ति के मात्र दो माह शेष रह गये हैं। द्वितीय किस्त
विमुक्ति हेतु प्रस्ताव भी भारत सरकार को भेजा जाना है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इन्दिरा आवास लाभार्थियों को
रित गति से राशि भुगतान करने हेतु कैम्प आयोजित कर निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप राशि भुगतान करने का कष्ट करें एवं अनुपालन प्रतिवेदन जिला
र्यालय को भेजें ।

6) इन्दिरा आवास योजना (20 %) :-

इस योजना के अन्तर्गत 1-4-2002 को अवशेष राशि 7,28,375/-रूपया दिखलाया गया है एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में 8,47,500/-रूपया
प्त हुआ है । इस प्रकार कुल उपलब्ध राशि मो0 15,75,875/-रूपया के विरूद्ध अब तक 5,87,000/-रूपया व्यय दिखलाया गया है । प्रखंड विकास पदाधि-
री को निर्देश दिया जाता है कि इस योजना की समीक्षा प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में करें एवं प्रखंड स्तर पर पर्यवेक्षीय कोटि के पदाधिकारियों को पंचायत
भ्रमण कर लाभुकों को आवास निर्माण कराने की दिशा में प्रोत्साहित करने हेतु निर्देश दें ।

7) प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना :-

प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2002-03 में आवंटन उपलब्ध नहीं हुआ है । पूर्व में प्राप्त
वंटन की राशि चयनित लाभुकों के बीच वितरित किया जा चुका है ।

लगातार....27/-

(38) बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि 1-4-2002 को 18,01,115/-रूपया अवशेष है । मासिक बैठक में पूर्व में भी अधोहस्ताक्षरी द्वारा निर्देश दिया जा चुका है कि प्रखंड स्तर पर जितनी राशि बचती है,उसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिलाग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को वापस लौटा दिया जाय ,परन्तु अभी तक राशि नहीं लौटायी गयी है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि इस योजना से संबंधित अपूर्ण योजनाओं के अभिलेख में स्पष्ट प्रतिवेदन उल्लेख करते हुए अभिलेख को बन्द कर दिया जाय । साथ ही जो लाभार्थी अग्रिम लेकर अग्रिम के अनुरूप आवास का निर्माण कार्य नहीं कराये हैं,उनसे अग्रिम के रूप में दी गयी सम्पूर्ण राशि की वसूली हेतु लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत नीलाम-पत्र वाद दायर किये जायें ।

(39) ग्रामीण आवास ऋण सह अनुदान योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 एवं वित्तीय वर्ष 2002-2003 में बैंक में भेजे गये कुल आवेदन-पत्रों की संख्या 221 के विरूद्ध मात्र 169 आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये हैं । प्रगति संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि इस योजना के तहत लक्ष्य के विरूद्ध अधिक से अधिक आवेदन-पत्र बैंकों में भेजना सुनिश्चित करें एवं बैंक से समन्वय स्थापित कर ऋण स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करें ।

(40) सुनिश्चित रोजगार योजना :-

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कुल 9 योजनाएँ चल रही है कि जिसके विरूद्ध मात्र 3 योजना ही पूर्ण हुई है एवं शेष योजनाओं में कार्य चल रहा है । प्रखंडविकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाताहै कि सभी लंबित योजनाओं को मासिक बैठक में दिये गये निर्धारित समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराना सुनिश्चित करें ।

(41) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से ज्ञात होता है कि इस प्रखंड में कुल 6(छः) योजना चल रही है जिसके विरूद्ध मात्र 3(तीन) योजनाएँ पूर्ण हो पायी है । स्थिति अत्यन्त खेदजनक है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विकास कार्यों की मासिक बैठक में दिये

लगातार.....28/-

गये समय-सीमा के अन्दर अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें

[42] विधायक/पार्षद ऐच्छिक कोष योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड में 32 [बत्तीस] योजनाएँ चल रही है, जिसके विरुद्ध 23 योजनाएँ पूर्ण दिखलायी गयी है एवं शेष योजनाओं में कार्य चल रही है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि विकास कार्यों की मासिक बैठक में दिये गए समय-सीमा के अन्दर अपूर्ण योजनाओं को पूर्ण कराना सुनिश्चित करें एवं जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका है, उसका उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मधुबनी को भेजना सुनिश्चित करें ।

[43] राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत इस प्रखंड का लक्ष्य 1230 दर्शाया गया है एवं माह दिसम्बर में रिक्ति 192 दर्शाया गया है । परन्तु विकास कार्यों की मासिक बैठक में इस प्रखंड का लक्ष्य 1160 एवं रिक्ति शून्य है। प्रखंड विकास पदाधिकारी स्पष्ट करें कि यह विसंगति क्यों है । पूर्व में भी मासिक बैठक में यह निर्देश दिया जा चुका है कि राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत किसी पेंशनधारी की मृत्यु से यदि रिक्तियाँ होती है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में नहीं भरा जाना है ।

[44] राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :-

इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इस प्रखंड का कुल लक्ष्य 1615 के विरुद्ध एक भी रिक्ति नहीं है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि माह सितम्बर, 2002 तक 1615 लाभान्वितों को पेंशन का वितरण किया जा चुका है ।

[45] छात्रवृत्ति :-

निरीक्षण हेतु प्रस्तुत प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वर्ग 1 से अष्टम तक अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति एवं मुसहर जाति के छात्र-छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि भुगतान करने हेतु सभी मुखिया को उपलब्धकरा दिया गया है । प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि वितरण की सूचना अद्यतन अप्राप्त है । प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि लाभार्थियों की संख्या कितनी है एवं उन्हें किस दर पर राशि का भुगतान किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त वर्ग 7 से 10 तक के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की राशि भुगतान हेतु अनुमण्डल कार्यालय, बेनीपट्टी से सूची की मांग की गयी है, जो अद्यतन अप्राप्त है । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि मुखिया को वितरण हेतु दी गयी राशि की समीक्षा की

लगातार....29/-

जाय । यदि मुखिया द्वारा राशि का वितरण नहीं की जाती है तो उनके विरूद्ध अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए उसकी सूचना जिला कार्यालय को भी दी जाय ।

[49] निष्कर्ष :-

इस प्रखंड का कार्यकलाप विगत वर्ष के अपेक्षा संतोषप्रद कहा जा सकता है । मुख्य रूप से अस्थायी अग्रिम एवं अभिश्रव को राशि के समायोजन करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर को कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है । प्रधान सहायक/प्रखंड नाजीर को निर्देश दिया जाता है कि अग्रिम की वसूली की दिशा में सभी संबंधित नोटिस निर्गत करते हुए वसूली की कार्रवाई सुनिश्चित करें । अभिश्रव का वर्षवार/शीर्षवार तैयार कर जो समायोजन के लायक है, उसका समायोजन करें । जो समायोजन के लायक नहीं है, उसके लिए जिला कार्यालय से आवंटन की मांग करें ताकि सरकार से भी आवंटन की मांग की जा सके । प्रधान सहायक/नाजीर को यह भी निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के दौरान अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में रोकड़ पंजी/बैंक पासबुक/सहायक रोकड़ पंजी को सही ढंग से संधारित करना सुनिश्चित करें । प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि निरीक्षण के क्रम में दिये गये सभी निर्देशों का अनुपालन निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराना सुनिश्चित करें ।

25.1.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।

ज्ञाप संख्या 216 । जिला विकास, मधुबनी, दिनांक 25 जनवरी, 2003 ई0।

प्रतिलिपि मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि आयुक्त एवं सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित
प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सेवा में सूचनार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि स्थापना उप समाहर्त्ता, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, बिस्फी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

25.1.2003

जिला पदाधिकारी,
मधुबनी ।